SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

| Case No 138/18 Sum | Complaint or report madeon .22-05-18 |
|------------------------------------|---|
| Name and address of the Complai | nantआबकारी विभाग |
| | 80 B |
| Name , | parentage,caste and address of accused |
| रविन्द्र कुमार पुत्र बनव | गरी तोमर उम्र 28 साल |
| | एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र० |
| ů, | & ATT |
| The offence, con | nplainant of, and date of, its alleged commission |
| आप पर आरोप है | कि दिनांक 22.05.18 को 3:10 बजे मुकाम ग्राम भौनपुरा पर |
| बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधि | पत्य में 14 पाव देशी प्लेन शराब विक्रय / परिवहन हेतु रखी। |
| ऐसा करके आपने अपराध कारित किया। | आबकारी अधि० 1915 की धारा 34—1 (क) के अधीन दण्डनीय |
| क्या आप | को उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो |
| (2) | हस्ता. |
| The plea o | f the accused and his examination (if any) |
| अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से द | ण्डित करने का निवेदन है। |
| हस्ता० अभियुक्त | हस्ता. |
| | |

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

As The

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 27.06.18 को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34—1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34—1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये 500 शब्दों में पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04. जप्तशुदा सम्पत्ति 14 पाव देशी प्लेन शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)